

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-6/वि0नि0-18-02/2023

पटना, दिनांक-

श्री ललित कुमार, तत्कालीन वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पूर्णियां प्रमण्डल, पूर्णियां सम्प्रति राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर को वित्त विभाग के पत्रांक-10128 दिनांक-26.12.2003 के आलोक में दिनांक-16.07.2003 से 02.08.2003 तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी प्रभार रहित कुल 18 दिनों की अवधि को कर्तव्य अवधि के रूप में एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-03.08.2003 से 06.08.2003 तक कुल 04 दिनों की अवधि को उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत करते हुए विनियमित किया जाता है।

2. वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री ललित कुमार के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (128-04=124) (एक सौ चौबीस) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार)

उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वि0नि0-18-02/2023 528

/पटना, दिनांक- 11/02/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना-800015/
कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार,
पूर्णिया/सर्ज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर/राज्य-कर अपर
आयुक्त (प्र0), पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल
पदाधिकारी(स्था0), एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर,
वाणिज्य -कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री ललित कुमार, राज्य-कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण),
भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।